न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3572–तीन/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–9–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ जिला देवास प्रकरण कमांक 59/बी–121/2014–15.

1– श्रीमती आशाबाई पति कमल किशोर मोदी
2– कमलकिशोर पिता विष्णुपन्त मोदी
निवासीगण ग्राम नेवरी
तहसील हाटपिपलया जिला देवास .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मांगीलाल पिता गिरधारीलाल
निवासी ग्राम नराणा
तहसील सोनकच्छ जिला देवास
2– शासन द्वारा पटवारी मौजा
निवासी ग्राम खोनपर पिपल्या
तहसील सोनकच्छ जिला देवास .....अनावेदकगण

श्री टी0टी0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/11/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष संहिता की धारा 107, 115 एवं 116 के अंतर्गत ग्राम खोनपीर पिपल्या तहसील सोनकच्छ स्थित भूमि सर्वे कमांक 206 रकबा 0.36 आरे के संबंध में खसरे एवं नक्शे ट्रेश में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र जॉच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, सोनकच्छ को भेजकर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन मंगाया गया । कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर अपर कलेक्टर, जिला देवास द्वारा दिनांक 6–5–2015 को यह निष्कर्ष निकालते हुए कि बंदोबस्त में हुई त्रुटि को संहिता की धारा 89 के अंतर्गत संशोधित करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त है । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि संहिता की धारा 89 के तहत विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित करें । तद्नुसार संहिता की धारा 107 के अंतर्गत प्रकरण उनके समक्ष प्रस्तुत करें । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 59/बी–121/2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–9–2015 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 द्वारा लगभग 16 वर्ष पश्चात संहिता की धारा 107, 115, 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अवधि बाह्य होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 द्वारा पटवारी से सांठ–गांठ कर दुर्भावनापूर्वक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो कि बिना किसी आधार के प्रस्तुत होने से निरस्त किये जाने योग्य था ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र पर गभीरता से विचार किये बिना सरसरी तौर पर आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित नक्शा दुरूस्ती का प्रकरण पूर्व से ही प्रचलित है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इस कारण, उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–9–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर